भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3860

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर और शुल्क

3860. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कर, दरें और शुल्क लगाने और एकत्र करने का अधिकार प्राप्त है और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्र किए जा रहे करों, दरों और शुल्कों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से एक है जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है जिसके कारण ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर और शुल्क से ग्रामीण आबादी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे करों और शुल्कों को समाप्त करने के लिए बिहार राज्य सरकार के परामर्श से कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उक्त नीति की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) हाँ, महोदय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ज के अनुसार, राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत को ऐसे कर, शुल्क, टोल तथा फीस लगाने, संकलित करने और विनियोजित करने का अधिकार प्रदान कर सकती है, जो

निर्धारित प्रक्रिया एवं सीमाओं के अधीन हों। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा लगाए और संकलित किए गए कर, शुल्क, टोल तथा फीस को भी पंचायतों को सौंपा जा सकता है, बशर्ते कि विधि में निर्दिष्ट प्रयोजनों, शर्तों एवं सीमाओं का पालन किया जाए।

यह मंत्रालय विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा संकलित किए जा रहे करों, दरों एवं शुल्कों का विवरण केंद्रीय स्तर पर संधारित नहीं करता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'हैंडबुक ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स' के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय ₹32,174/- है, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹1,06,744/- है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ज के अनुसार कर, शुल्क, टोल तथा फीस लगाने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से प्रदान किया जाता है तथा उसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों के अधीन होता है।
